उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 1592/VII-1/2015/158-ख/2004
देहरादून : दिनांकः 7 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1031/VII-1/2015/158-ख/2004, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम-9 में निम्नानुसार अतिरिक्त प्राविधान जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम-9

(अतिरिक्त प्राविधान) -

सोपस्टोन पट्टाधारक एवं पल्वराईजर धारकों को खनिज भण्डारण हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु उनको प्रत्येक माह अपने क्रय-विक्रय का लेखा-जोखा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रपत्र-एल में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग तथा खान अधिकारी/उप निदेशक, खनन एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा।

यदि सोपस्टोन पट्टाधारक एवं पल्वराईजर धारकों द्वारा प्रत्येक माह लेखा-जोखा नहीं दिया जायेगा तो उन पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम-13 2(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(राकेश शर्मा)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1592 (1)/VII-1/2015/158-ख/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेषालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त उप निदेशक, खनन/भूविज्ञान, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड सम्बन्धित जनपद।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 150 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 भाकुनी)
उप सचिव।